राजस्थान सरकार
स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र
योजना भवन, जयपुर

क्रमांकः प. 2(18)आयो./ग्रुप–2/2023 **जयपुर दिनांकः**

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010 में स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी नीति जारी की गई थी। नीति का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता, विशेष रूप से वंचित वर्ग की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप और अधिक प्रगतिशील एवं उत्तरदायी बनाने में सहयोग करना तथा राज्य के विकास में स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग हेतु सहायक वातावरण उत्पन्न करना है। इस नीति के अंतर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं व सरकार के मध्य साझेदारी विकसित कने के लिये एक स्वतंत्र संगठन के तौर पर स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र के द्वारा स्वैच्छिक संगठनों में पारदर्शिता, जबावदेही एवं सुशासन को बढ़ावा देने हेतु उनके प्रमाणन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी नीति में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र द्वारा तैयार एवं क्षेत्र विशेष हेतु मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की सूची में से ही राज्य सरकार के इच्छुक विभागों द्वारा कार्य सौंपा जायेगा। नीति में स्वैच्छिक संगठनों के विभाग स्तर पर चयन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गयी है।

वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से करवाया जा रहा है। अतः राज्य सरकार के विभिन्न विभाग अपने अंतर्गत वर्तमान में कार्य कर रहे विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र से प्रमाणन प्राप्त करने हेतु निर्देशित करें एवं भविष्य में स्वैच्छिक संगठनों का चयन स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी नीति में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रमाणनशुदा संगठनों में से किया जायें। स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी नीति एवं स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र द्वारा निर्धारित प्रमाणन की प्रक्रिया स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र विभाग की वेबसाईट www.vsdc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(उषा शर्मा)
मुख्य सचिव

अति. मुख्य सचिव/प्र शासन सचिव/शासन सचिव

.....

Signature valid
Digitally signed by Usha Sharma
Designation : Chief Secretary
Date: 2023.04.12 20:56:15 IST
Reason: Approved